कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/13685/2015 / 2317 भोपाल, दिनांक 28-10-16

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय),
रीवा वृत्त रीवा,
मध्यप्रदेश।

विषय– रीवा वृत्त अन्तर्गत वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न के वनखण्ड दुधिचुआ की रकबा 443.000 हेक्टेयर वन भूमि एवं ग्राम मेंढौली के विभिन्न खसरों की 24.809 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि कुल 467.809 हेक्टेयर वन / राजस्व वन भूमि में उपरितल कोयला खनिज उत्खनन व्यपवर्तन का प्रस्ताव–नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 6341 दिनांक 07 / 10 / 2016

---0---

विषयांतर्गत उक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त ऑनलाईन प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/13685/2015 एवं संदर्भित पत्र से प्राप्त हार्डप्रति का परीक्षण करने पर ऑनलाईन में अपलोड किये गये अभिलेख एवं हार्डप्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न किये गये अभिलेख भिन्न–भिन्न हैं।

1 FORM-A के PART-II में निम्न अनुक्रमांको की पूर्ति वन मंडल अधिकारी सिंगरौली द्वारा ऑनलाईन फार्म में भरी जाना नहीं पाई गई है:–

(i) अनुक्रमांक 13(i) में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की Patchwise Details नहीं भरी गई है। हार्डप्रति में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना संलग्न है।

2 FORM-A के PART-III में निम्न अनुक्रमांको की पूर्ति मुख्य वन संरक्षक रीवा द्वारा ऑनलाईन फार्म में भरी जाना नहीं पाई गई है:–

(i) FORM-A के PART-III में अनुक्रमांक 15 में मुख्य वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं है।

(ii) FORM-A के PART-III के अनुक्रमांक 16 में मुख्य वन संरक्षक, रीवा द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा नहीं कर इस बिन्दु में अपना पत्र दिनांक 01.10.2016 संलग्न किया है जो वन मंडल अधिकारी सिंगरौली को संबोधित है एवं इसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि प्रपत्र–2 के समस्त कॉलमों की पूर्ति कर उन्हें उपलब्ध कराया जाये ताकि उनके द्वारा वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भेजा जा सके। बिना अनुशंसा के प्रस्ताव इस कार्यालय को भेजने का क्या औचित्य है?

3 वन मंडल अधिकारी सिंगरौली द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि 443.000 हेक्टेयर में से 186.254 हेक्टेयर वन भूमि कक्ष क्रमांक पी–262 वनमंडल के प्रचलित कार्य आयोजना के हाथी कॉरीडोर में सम्मिलित है। अतः वन क्षेत्र हाथी कॉरीडोर में सम्मिलित होने के कारण इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल का अभिमत प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

4 इसी प्रकार ऑनलाईन FORM-A के PART-I में आवेदक संस्थान द्वारा भरी जाने वाली जानकारी में निम्न बिन्दुओं की पूर्ति होना नहीं पाया गया है :–

(i) अनुक्रमांक A-3(xvii) में अधिकृत अधिकारी का Authority letter संलग्न किया गया है परन्तु हार्डप्रति में Authority letter संलग्न होना नहीं पाया गया।

10915
09-11-16

(ii) FORM-A के PART-I में आवेदक संस्थान द्वारा ऑनलाईन फार्म में अनुक्रमांक C-(ii)(a) में पेंच वाईज KML फाईन खुल नहीं रही है। हार्ड प्रति में KML फाईल सी.डी. में संलग्न की गई है।

(iii) FORM-A के PART-I में आवेदक संस्थान द्वारा अनुक्रमांक C-(iv) में ऑनलाईन में जी.पी.एस. रीडिंग सहित जियो रिफरेंस मानचित्र दिया गया है, परन्तु हार्ड प्रति में संलग्न नहीं किया गया है।

(iv) ऑनलाईन FORM-A के PART-I में अनुक्रमांक K(i)(a) में अनु.जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत संबधित कलेक्टर जिला सिंगरौली का दिया गया प्रमाण पत्र ऑनलाईन में एवं हार्डप्रति में भिन्न–भिन्न है। कलेक्टर सिंगरौली के प्रमाण पत्र दिनांक 15/08/2016 में संलग्न दर्शाये अभिलेख हार्डप्रति में संलग्न नहीं है।

(v) FORM-A के PART-I में आवेदक संस्थान द्वारा अनुक्रमांक M-2(iv) में माइनिंग प्लान एवं हार्डप्रति में पूर्ण अनुमोदित माईनिंग प्लान संलग्न होना नहीं पाया गया।

(vi) अनुक्रमांक M-2(vi) में आवेदित स्थल के जी.पी.एस. सहित रीडिंग का 1:4000 स्केल का मानचित्र हार्डप्रति में संलग्न नहीं किया गया है। ऑनलाईन फार्म में भी संलग्न मानचित्र में जी.पी.एस. रीडिंग नहीं दी गई है।

(vii) ऑनलाईन FORM-A के PART-I में अनुक्रमांक M-3(i) में पूर्वेक्षण कार्य की अनुमति के अभिलेख दिये गये हैं परन्तु हार्ड प्रति में उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(viii) प्रस्ताव की हार्ड प्रति ऑनलाईन FORM-A के PART-I एवं PART-II में अंकित अभिलेखों को क्रमबद्ध तरीके से संलग्न होना नहीं पाया गया। हार्ड प्रति पुरानी प्रक्रिया के भाग–1 एवं भाग–2 संलन करके उसके अभिलेख लगाये गये है। जबकि वर्तमान में PART-I, PART-II एवं PART-III के बिन्दुओं के अनुसार हार्डप्रति में संलग्न किये जाने चाहिये, जो नहीं है।

अतः संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव मूलतः संलग्न वापस कर लेख है कि उपरोक्त कमियां एवं अन्य कोई कमी परीलक्षित होती है तो उसकी भी पूर्ति कर पूर्ण एकजाई प्रस्ताव ऑनलाईन एवं हार्डप्रति (तीन प्रतियों में) अपनी अनुशंसा सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(एस.के.मण्डल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ–1/732/2014/10–11/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. वन मण्डल अधिकारी, (सामान्य) वन मण्डल, सिंगरौली, जिला–सिंगरौली म.प्र.
2. महाप्रबंधक, नार्दन कोल फील्ड्स लिमि0, दुधीचुआ परियोजना पोस्ट–खडिया जिला–सोनभद्र उ.प्र.

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

कार्यालय वन वृत्त रीवा मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक/मा०चि०/6819   रीवा, दिनांक 11-11-16

प्रतिलिपि:- वन मण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली की ओर भेजकर लेख है कि आप प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म०प्र० भोपाल के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जो आपको भी पृष्ठांकित है। विषयांकित प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल द्वारा बिन्दु क्रमांक 01 से 04 तक में आपत्ति उठाई जाकर प्रकरण मूलतः इस कार्यालय की ओर वापस किया गया है। जो आपकी ओर भेजा जा रहा है।

अतः आप उठाई गई समस्त आपत्तियों की पूर्ति कराकर अपने स्पष्ट अभिमत सहित इस कार्यालय की ओर भेजना सुनिश्चित करें, ताकि वरिष्ठ कार्यालय की ओर भेजा जा सके।

संलग्न:- मूलतः वन प्रस्ताव
4 प्रतियों में।

मुख्य वन संरक्षक
वनवृत्त रीवा (म०प्र०)